

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 278 / 2008 / चित्तौड़.

सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर चित्तौड़गढ़.अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स मदन लाल विजयवर्गीय पुत्र छोगालाल, चित्तौड़गढ़.प्रत्यर्थी.

2. अपील संख्या – 279 / 2008 / चित्तौड़.

सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर चित्तौड़गढ़.अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स महेश कुमार गट्टानी पुत्र लक्ष्मीनारायण, चित्तौड़गढ़.प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अरिजय जैन, अभिभाषक

.....प्रत्यर्थीगण की ओर से.

निर्णय दिनांक : 21 / 11 / 2016

निर्णय

1. अपीलार्थी राजस्व द्वारा ये दोनों अपीलें उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 02 व 20 / प्रवेश कर / चि0 / 07-08 में पारित किये गये संयुक्तादेश दिनांक 16.10.2007 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी हैं।

2. इन दोनों अपीलों के तथ्य व विवादित बिन्दु सदृश्य हैं। अतः दोनों प्रकरणों का निस्तारण संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

3. अपील संख्या 278 / 2008 से सम्बन्धित प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी द्वारा राज्य के बाहर से मध्यप्रदेश की फर्म मैसर्स पटवा अभिकरण रतलाम प्रा० लिमिटेड से एक मोटर वाहन महेन्द्रा बोलेरो की खरीद बिल क्रमांक 324 दिनांक 30.10.2005 कीमत रूपये 4,68,000 / - में की जाकर दिनांक 11.11.2005 को राज्य में आयात किया गया एवं परिवहन विभाग चित्तौड़गढ़ में इसका पंजीयन करवाया गया, परन्तु राजस्थान टैक्स ऑन एन्ट्री ऑफ मोटर व्हिकल इन्टु लोकल एरियाज एक्ट, 1988 (जिसे आगे 'प्रवेश कर अधिनियम' कहा जायेगा) के तहत देय प्रवेश कर जमा नहीं करवाया गया। ऐसी स्थिति में सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, चित्तौड़गढ़ (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा सुनवाई का मौका देने के पश्चात् प्रत्यर्थी पर प्रवेश कर रूपये 56,180 / - एवं प्रवेश कर सम्बन्धी घोषणा नहीं किये जाने

लगातार.....2

के आरोप में धारा 6(1) के तहत शास्ति रूपये 28,070/- आरोपित की गई एवं अदेय कर पर ब्याज रूपये 7,300/- की गणना सम्बन्धी आदेश दिनांक 22.12.2006 को पारित किया गया।

4. अपील संख्या 279/2008 से सम्बन्धित प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी द्वारा एक मोटर वाहन महेन्द्रा पिक-अप की खरीद राज्य के बाहर से मध्यप्रदेश की फर्म मैसस पटवा अभिकरण रतलाम प्रा0 लिमिटेड से बिल क्रमांक 102 दिनांक 20.06.2005 कीमत रूपये 3,55,000/- में की गयी एवं उक्त वाहन का पंजीयन राजस्थान राज्य में करवाया गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रवेश कर अधिनियम की धारा 3 के तहत देय प्रवेश कर नहीं चुकाया गया था एवं न ही अपने क्षेत्र के वाणिज्यिक कर अधिकारी के कार्यालय से आवश्यक घोषणा पत्र ई.टी.1 प्राप्त किया गया था, जिसके आधार पर किसी भी वाहन के आयातकर्ता को प्रवेश कर अधिनियम की धारा 4(2) एवं नियम 3 के तहत कर दायित्व में कमी करने का लाभ प्राप्त हो सकता है। दिनांक 20.03.2006 को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया जाने पर प्रत्यर्थी द्वारा ई.टी.1 जारी करने हेतु अनिवार्य शुल्क रूपये 10/- दिनांक 20.03.2006 को जमा करवाकर ई.टी.1 प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया था एवं साथ ही यह शपथपत्र प्रस्तुत किया गया था कि उनके द्वारा मध्यप्रदेश के रतलाम से जो मोटर वाहन खरीदा गया था, उसका कर उस राज्य में जमा करा दिया था एवं प्रवेश कर सम्बन्धी जानकारी नहीं होने से उनके द्वारा घोषणा पत्र ई.टी.1 प्राप्त नहीं किया गया। यह भी कथन किया गया कि मोटर वाहन पर 12 प्रतिशत से कर अन्य राज्य में भुगतान किया जा चुका है, अतः पुनः कर दायित्व सृजित नहीं हो सकता। उसके पश्चात् दिनांक 18.01.2007 को वाहन स्वामी की तरफ से यह कथन किया गया कि उक्त मोटर वाहन सुन्दरम् फाईनेंस, चित्तौड़गढ़ के जरिये बुक करवाकर एवं उनके द्वारा फाईनेंस करवाकर प्राप्त किया गया था एवं यह वाहन राज्य में सुन्दरम् फाईनेंस द्वारा डिलीवर किया गया था। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सुनवाई करने के पश्चात् यह निर्धारित किया गया कि वाहन स्वामी द्वारा राज्य के बाहर से जो वाहन खरीद किया गया है, उस पर प्रवेश कर अधिनियम के तहत कर दायित्व होने से प्रवेश कर रूपये 42,600/- का निर्धारण किया गया एवं इसकी स्वयं द्वारा घोषणा नहीं किये जाने के कारण प्रवेश कर अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रवेश कर की आधी राशि की शास्ति रूपये 21,300/- भी आरोपित की गई एवं तदनुसार ब्याज रूपये 9,800/- का आरोपण भी आदेश दिनांक 29.05.2007 से किया गया।



5. प्रत्यर्थागण द्वारा उक्त आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपीलें, अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.10.2007 से स्वीकार करते हुए, प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये गये कि प्रत्यर्थी पर प्रवेश कर की कोई देयता नहीं बनती है, जबकि प्रत्यर्थागण के फाईनेंसर मैसर्स सुन्दरम् फाईनेंस पर प्रवेश कर अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा सकती है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा ये अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

6. अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय आदेश तथ्यों एवं विधि के विरुद्ध है। कथन किया कि प्रत्यर्थागण द्वारा प्रवेश कर अधिनियम के तहत वाहन आयात किये जाने से पूर्व कोई घोषणा पत्र प्राप्त नहीं किये गये थे एवं राज्य के बाहर से मोटर वाहन के आयात पर प्रवेश कर अधिनियम के तहत प्रवेश कर देयता है, ऐसी स्थिति में अपीलें स्वीकार कर अपीलीय आदेश को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

7. प्रत्यर्थागण के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कथन किया गया कि अपीलीय आदेश विधिसम्मत है एवं प्रत्यर्थागण द्वारा वाहनों का आयात स्वयं ने नहीं कर उनके द्वारा मैसर्स सुन्दरम् फाईनेंस से वाहनों की खरीद की गयी है, ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी द्वारा यह विधिक निर्णय दिया गया है कि प्रवेश कर के सम्बन्ध में कार्यवाही सुन्दरम् फाईनेंस के विरुद्ध की जा सकती है एवं प्रत्यर्थागण का कोई करदायित्व नहीं बनता है। अपने कथन के समर्थन में विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने माननीय उच्चतम न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त (2016) 2 सुप्रीम कोर्ट केसेज (सिविल) 559 कमिश्नर ऑफ कॉमर्शियल टैक्सेज, केरला बनाम के.टी.सी. ऑटोमोबाईल्स प्रस्तुत करते हुए राजस्व की अपीलें अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

8. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अध्ययन किया गया।

9. अपीलीय अधिकारी ने अपने निर्णय में यह निष्कर्ष दिया है कि दोनों ही मामलों में प्रवेश कर अदायगी का दायित्व मैसर्स सुन्दरम् फाईनेंस कम्पनी शाखा कार्यालय चित्तौड़गढ़ का उत्पन्न होता है, ना कि प्रत्यर्थागण का।

10. अपीलीय अधिकारी ने अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि अपीलार्थी द्वारा वाहन का स्वयं के स्तर पर क्रय ही नहीं किया गया है, अतः प्रपत्र ई.टी.1 को उपयोग में लेने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। इस आधार पर शास्ति



लगातार.....4

भी आकर्षित नहीं होती है। अपीलीय अधिकारी ने यह भी अंकित किया है कि अपीलार्थी द्वारा मैसर्स सुन्दरम् फाईनेंस कम्पनी से वाहन की डिलीवरी दिये जाने के पश्चात परिवहन कार्यालय में पंजीयन करवाया गया है, अतः अपीलार्थी द्वारा प्रवेश कर का दायित्व नहीं होता है। अपने निर्णय में माननीय राजस्थान कर बोर्ड के निर्णय (2004) 8 टैक्स अपडेट 38 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, सुमेरपुर बनाम लालचन्द लक्ष्मीनारायण बोहरा सादड़ी के मामले का भी हवाला दिया गया है, जिसमें वाहन खरीदकर्ता द्वारा वाहन की बुकिंग जोधपुर के वाहन कम्पनी द्वारा करने एवं उन्हीं के द्वारा विक्रय करने की स्थिति में वाहन खरीदकर्ता का प्रवेश कर दायित्व नहीं होता है।

11. प्रकरण के तथ्यों पर गौर किया गया। दोनों ही मामलों में प्रत्यर्थागण द्वारा वाहन की खरीद निश्चित रूप से सुन्दरम् फाईनेंस कम्पनी से फाईनेंस प्राप्त की जाकर की गई है, परन्तु वाहन का विक्रय मध्यप्रदेश की रतलाम स्थित फर्म से सीधे प्रत्यर्थागण के बिल जारी कर किया गया है एवं उन जारी बिलों के आधार पर प्रत्यर्थागण द्वारा परिवहन विभाग में मोटर वाहन का पंजीयन करवाया गया है। इस सम्बन्ध में प्रवेश कर अधिनियम की धारा 3 व 4 निम्न प्रकार है :-

3. Incidence of Tax,-

(1) There shall be levied and collected a tax on the purchase value of a motor vehicle, an entry of which is effected into a local area for use or sale therein and which is liable for registration in the State under the Motor Vehicles Act, 1939 (Central Act 4 of 1939), at such rate or rates as may be notified by the State Government from time to time but not exceeding the rates notified for motor vehicles under section 5 of the RST Act, 1954 (Rajasthan Act 29 of 1954) or fifteen percent of the purchase value of a motor vehicle, whichever is less:

Provided that no tax shall be levied and collected in respect of a motor vehicle which was registered in any Union Territory or any other State under the Motor Vehicles Act, 1939 (Central Act 4 of 1939) for a period of fifteen months or more before the date on which it is liable to be registered in the State under the said Act.

(2) The tax shall be payable by an importer, -

(a) if he is a dealer registered or liable to be registered under the provisions of the RST Act, 1954. (Act No.29 of 1954), in the manner and within the time as tax on sales is payable by him under the said Act; and



लगातार.....5

(b) if he is a person not covered by clause (a), on the date of entry of the motor vehicle into the local area, to the incharge of the entry checkpoint or the Commercial Taxes Officer of the area where he ordinarily resides or carries on any business or provides any service, and the provisions of the RST Act, 1954 (Act No.29 of 1954) as applicable to a registered dealer or casual trader shall, mutatis mutandis, apply to such dealer or, as the case may be, such person.

(3) The tax shall be in addition to the tax levied and collected as octroi by any local authority within its local area.

4. Reduction in tax liability. -

(1) Where an importer of a motor vehicle liable to pay tax under this Act, being a dealer in motor vehicles, becomes liable to pay tax under the RST Act, 1954 (Act No.29 of 1954) by virtue of the sale of such motor vehicle, then his liability under the RST Act, 1954 shall be reduced to the extent of tax paid under this Act.

(2) The amount of tax leviable under this Act shall, subject to such conditions as may be prescribed, be reduced to the extent of the amount of tax paid, if any, under the law relating to General Sales Tax as may be in force in any other State or Union Territory 1[or under the Central Sales Tax Act, 1956 (Central Act No. 74 of 1956)] by an importer who, not being a dealer registered under the provisions of the RST Act (Act No.29 of 1954), had purchased the motor vehicle in that State for his own use. 5

12. उक्त प्रावधानों के अनुसार किसी भी व्यक्ति द्वारा राज्य के बाहर से वाहन खरीदकर राज्य में उपयोग किया जाता है तो उस पर प्रवेश कर देय होगा। प्रवेश कर अधिनियम की धारा 4 में यह लाभ प्रदत्त किया गया है कि किसी अन्य राज्य में जो कर क्रय करने के समय अदा किया गया है, वह विहित शर्तों के अधीन कम किया जा सकता है। धारा 4 के सम्बन्धित नियम 4 के तहत यह शर्तें विहित की गयी हैं कि यदि आयातकर्ता व्यक्ति द्वारा निजी उपयोग हेतु वाहन आयात किया जाता है तब वह स्थानीय क्षेत्र के वाणिज्यिक कर अधिकारी के समक्ष घोषणा पत्र ई.टी.1 प्राप्त करने हेतु आवेदन करेगा एवं उसके पश्चात् वाहन के आयात करने पर राज्य में प्रवेश कर देयता निर्धारित करते समय अन्य राज्य, जहां से किसी वाहन का क्रय किया गया है, उस राज्य की विक्रय कर अदायगी की सीमा तक प्रवेश कर में रियायत दी जायेगी।



लगातार.....6

13. उक्त दोनों ही मामलों में प्रत्यर्थागण द्वारा घोषणा पत्र ई.टी.1 प्राप्त नहीं किये गये थे, बल्कि वाहनों को राज्य के बाहर से खरीदकर राज्य के भीतर पंजीयन करवाया गया था। ऐसी स्थिति में प्रवेश कर अधिनियम की धारा 3 के तहत प्रवेश कर देयता अनिवार्य रूप से बनती है, परन्तु उनके द्वारा विभाग में ऐसी घोषणा नहीं की गयी है, तब कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अनिवार्य प्रवेश कर दायित्व निर्धारित करते हुए घोषणा नहीं करने के तथ्यों के अधीन प्रवेश कर अधिनियम की धारा 6 के तहत कर राशि की आधी राशि की शास्ति भी आरोपित की गई है एवं ब्याज की भी गणना की गयी है।

14. पत्रावली में उपलब्ध खरीद बिलों की जांच किये जाने पर यह सुस्पष्ट है कि दोनों ही प्रत्यर्थागण द्वारा वाहनों की खरीद मध्यप्रदेश की फर्म से की गयी है एवं उनके द्वारा ही वाहन प्राप्त कर उसका पंजीयन करवाया गया है। अपीलीय अधिकारी ने यह मत व्यक्त किया है चूंकि प्रत्यर्थागण द्वारा वाहनों की खरीद सुन्दरम् फाईनेंस के जरिये की गयी है, अतः सुन्दरम् फाईनेंस का कर दायित्व मानते हुए अपने आदेश के अन्त में यह उल्लेख किया है कि सुन्दरम् फाईनेंस के विरुद्ध कर दायित्व की कार्यवाही की जावे, जो पूर्णतया अविधिक एवं तथ्यों से परे है, क्योंकि प्रवेश कर अधिनियम के तहत प्रवेश कर उसी व्यक्ति पर देय है, जिसके द्वारा वाहन की खरीद की गयी है एवं वाहन का उपयोग किया जाता है। इस प्रकरण में यह स्पष्ट था कि वाहन की खरीद प्रत्यर्थागण द्वारा स्वयं ने की है तथा फाईनेंस कम्पनी से केवल ऋण प्राप्त किया गया है एवं ऋणदाता द्वारा केवल ऋण दिये जाने से वाहन उसका नहीं माना जा सकता, क्योंकि माल की खरीद के लिये वित्त उपलब्ध कराने का कार्य ऋणदाता द्वारा किया जाता है, ना कि माल की खरीद स्वयं ने की है। पत्रावली पर ऐसा एक भी तथ्य उपलब्ध नहीं है, जो यह प्रमाणित करे कि पहले सुन्दरम् फाईनेंस ने माल की डिलीवरी प्राप्त कर, उसे प्रत्यर्थी को किया गया है।

15. उक्त तथ्यात्मक स्थिति के तहत यह प्रमाणित है कि वाहनों की खरीद एवं उसका उपयोग स्वयं प्रत्यर्थागण द्वारा किया गया है एवं प्रवेश कर अधिनियम के तहत प्रत्यर्थागण का कर दायित्व बनता है। अतः आरोपित किया गया कर विधिसम्मत होना निर्णीत किया जाता है।

16. प्रत्यर्थागण की ओर से विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय का उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त प्रवेश कर अधिनियम से कोई सम्बन्ध नहीं रखता है, बल्कि वह अन्य बिन्दुओं पर दिया गया निर्णय है, जिसमें मोटर व्हिकल एक्ट, 1988 एवं मोटर व्हिकल रूल्स, 1999 की विवेचना की गयी है, जो इस प्रकरण में लागू नहीं होता है।




17. प्रत्यर्थागण की ओर से विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा शास्ति राशि का विरोध किया गया था, उस पर विचार किया गया। इन दोनों प्रकरणों में ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों ही प्रत्यर्थागण को प्रवेश कर अधिनियम की जानकारी नहीं थी, क्योंकि सुन्दरम् फाईनेंस कम्पनी द्वारा ऋण उपलब्ध कवाने एवं माल का आयात करने की सुविधा प्रदान की गयी थी, उन्हें इसके प्रवेश कर से सम्बन्धी ज्ञान नहीं था। अतः प्रवेश कर के अपवंचन का उद्देश्य प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में आरोपित शास्ति न्यायोचित प्रतीत नहीं होती एवं अपास्त किये जाने योग्य पायी जाती है।

18. अपीलीय अधिकारी के आदेश में जो सुन्दरम् फाईनेंस कम्पनी के नाम से कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं, वे अविधिक एवं अनुचित होने से अपास्त किये जाते हैं एवं कर निर्धारण अधिकारी के इन दोनों आदेशों की कर व ब्याज निर्धारण की सीमा तक पुष्टि करते हुए बहाल (Restore) किये जाते हैं तथा धारा 6(1) के तहत शास्ति अपास्त की जाती है।

19. परिणामस्वरूप, अपीलार्थी राजस्व की दोनों अपीलें उपरोक्तानुसार आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं।

20. निर्णय सुनाया गया।


(के. एल. जैन)
सदस्य